

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 फरवरी 2024—माघ 30, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2024

क्र. 2678-39-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 19 फरवरी, 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२४

[दिनांक १९ फरवरी, २०२४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १९ फरवरी, २०२४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२४ है.

वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ३,०२,६५,१५,१४,६४२ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये तीस हजार दो सौ पैंसठ करोड़ पंद्रह लाख चौदह हजार छः सौ बयालीस होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दिए जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

(धारा २ और ३ देखिये) .

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये	
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	१२,००,००,०१,३००	१२,००,००,०१,३००
	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	२००	२००
००१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	२४,४०,०९,८६४	०	२४,४०,०९,८६४
००२.	विमानन	राजस्व	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
००३. गृह	राजस्व	२००	०	२००
	पूंजी	३००	०	३००
००५. जेल	राजस्व	३००	०	३००
००६. वित्त	राजस्व	४,८००	०	४,८००
००७. वाणिज्यिक कर	राजस्व	१,५४,७०,९१,४००	०	१,५४,७०,९१,४००
	पूंजी	१९,००,००,०००	०	१९,००,००,०००
०१२. ऊर्जा	राजस्व	७,५९,५७,००,६००	०	७,५९,५७,००,६००
	पूंजी	१,३३,६५,००,००,७००	०	१,३३,६५,००,००,७००
०१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	१,३००	०	१,३००
०१४. पशुपालन एवं डेयरी	राजस्व	८६,१५,७१,६००	०	८६,१५,७१,६००
	पूंजी	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
०१५. घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	राजस्व	६००	०	६००
०१७. सहकारिता	राजस्व	६००	०	६००
	पूंजी	६००	०	६००
०१८. श्रम	राजस्व	१,२५,००,०००	०	१,२५,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
	राजस्व	४,२२,५०,००,०००	०	४,२२,५०,००,०००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
	पूंजी	२६,१६,५६,५०,०००	०	२६,१६,५६,५०,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास			
	राजस्व	१००	०	१००
	पूंजी	६००	०	६००
०२३.	जल संसाधन			
	राजस्व	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
	पूंजी	४,१०,००,०९,७००	१०,००,००,०००	४,२०,००,०९,७००
०२४.	लोक निर्माण कार्य			
	राजस्व	८००	०	८००
	पूंजी	१९,८५,००,१२,२००	४,००,००,००,०००	२३,८५,००,१२,२००
०२५.	खनिज साधन			
	राजस्व	४०,००,००,०००	०	४०,००,००,०००
	पूंजी	६०,००,००,०००	०	६०,००,००,०००
०२७.	स्कूल शिक्षा			
	राजस्व	३,५०,००,००,३००	०	३,५०,००,००,३००
	पूंजी	२,०००	०	२,०००
०२८.	राज्य विधान मंडल			
	राजस्व	४००	०	४००
०२९.	विधि और विधायी कार्य			
	पूंजी	२००	०	२००
०३०.	ग्रामीण विकास			
	राजस्व	५,२९,००,००,२००	०	५,२९,००,००,२००
	पूंजी	२००	०	२००
०३२.	जनसंपर्क			
	राजस्व	३,२४,००,००,०००	०	३,२४,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०३३.	जनजातीय कार्य	पूंजी	२५,९८,७५,०००	०	२५,९८,७५,०००
०३४.	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राजस्व	२,५०,००,००,०००	०	२,५०,००,००,०००
०३७.	पर्यटन	राजस्व	१००	०	१००
		पूंजी	३००	०	३००
०३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	राजस्व	१,५०,००,००,७००	०	१,५०,००,००,७००
		पूंजी	६००	०	६००
०४०.	पंचायत	राजस्व	२१,३५,००,००,०००	०	२१,३५,००,००,०००
०४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	४,२००	०	४,२००
		पूंजी	३,६००	०	३,६००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	६२,५०,००,०००	०	६२,५०,००,०००
		पूंजी	८,०७,००,००,०००	०	८,०७,००,००,०००
०५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	१०,००,०००	०	१०,००,०००
०५२.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	२,२३,०६,००,०००	०	२,२३,०६,००,०००
		पूंजी	३,६२,५०,००,०००	०	३,६२,५०,००,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०५४.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व १००	० १००
०५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व ३३,८५,८०,६८,९७८	० ३३,८५,८०,६८,९७८
		पूंजी २६,०४,००,०००	० २६,०४,००,०००
योग :		राजस्व : ८९,७३,०५,५७,९४२	१२,००,००,०१,३०० १,०१,७३,०५,५८,४४२
		पूंजी : १,९६,८२,०९,५६,०००	४,१०,००,००,२०० २,००,९२,०९,५६,२००
	वृहद्-योग :	२,८६,५५,१५,१३,१४२	१६,१०,००,०१,५०० ३,०२,६५,१५,१४,६४२

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2024

क्र. 2978-39-इक्कीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 1 OF 2024

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2024.

[Received the assent of the Governor on the 19th February, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 19th February, 2024.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2023-24.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2024.

Issue of
Rs. 3,02,65,15,14,642
from and out of the
Consolidated Fund
of the State for the
Financial
Year 2023-24.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. Thirty Thousand Two Hundred Sixty Five Crore Fifteen Lakh Fourteen Thousand Six Hundred Forty Two towards defraying the several charge which shall come in the course of payment during the Financial Year 2023-24 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE
(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
	Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt.			
	Revenue	0	12,00,00,01,300	12,00,00,01,300
	Charged appropriation- Public Debt.			
	Capital	0	200	200
001.	General Administration			
	Revenue	24,40,09,864	0	24,40,09,864
002.	Aviation			
	Revenue	25,00,00,000	0	25,00,00,000
003.	Home			
	Revenue	200	0	200
	Capital	300	0	300
005.	Jail			
	Revenue	300	0	300
006.	Finance			
	Revenue	4,800	0	4,800
007.	Commercial Tax			
	Revenue	1,54,70,91,400	0	1,54,70,91,400
	Capital	19,00,00,000	0	19,00,00,000
012.	Energy			
	Revenue	7,59,57,00,600	0	7,59,57,00,600
	Capital	1,33,65,00,00,700	0	1,33,65,00,00,700
013.	Farmers Welfare and Agricultural Development.			
	Revenue	1,300	0	1,300
014.	Animal Husbandary and Dairying.			
	Revenue	86,15,71,600	0	86,15,71,600
	Capital	5,00,00,000	0	5,00,00,000
015.	Nomadic And Semi-Nomadic Tribe Department			
	Revenue	600	0	600

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
017.	Co-operation			
	Revenue	600	0	600
	Capital	600	0	600
018.	Labour			
	Revenue	1,25,00,000	0	1,25,00,000
019.	Public Health and Family Welfare.			
	Revenue	4,22,50,00,000	0	4,22,50,00,000
020.	Public Health Engineering			
	Capital	26,16,56,50,000	0	26,16,56,50,000
022.	Urban Development and Housing.			
	Revenue	100	0	100
	Capital	600	0	600
023.	Water Resources			
	Revenue	50,00,00,000	0	50,00,00,000
	Capital	4,10,00,09,700	10,00,00,000	4,20,00,09,700
024.	Public Works			
	Revenue	800	0	800
	Capital	19,85,00,12,200	4,00,00,00,000	23,85,00,12,200
025.	Mineral Resources			
	Revenue	40,00,00,000	0	40,00,00,000
	Capital	60,00,00,000	0	60,00,00,000
027.	School Education			
	Revenue	3,50,00,00,300	0	3,50,00,00,300
	Capital	2,000	0	2,000
028.	State Legislature			
	Revenue	400	0	400
029.	Law and Legislative Affairs			
	Capital	200	0	200
030.	Rural Development			
	Revenue	5,29,00,00,200	0	5,29,00,00,200
	Capital	200	0	200

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
032.	Public Relations			
	Revenue	3,24,00,00,000	0	3,24,00,00,000
033.	Tribal Affairs			
	Capital	25,98,75,000	0	25,98,75,000
034.	Social Justice and disabled Person welfare.			
	Revenue	2,50,00,00,000	0	2,50,00,00,000
037.	Tourism			
	Revenue	100	0	100
	Capital	300	0	300
039.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection.			
	Revenue	1,50,00,00,700	0	1,50,00,00,700
	Capital	600	0	600
040.	Panchayat			
	Revenue	21,35,00,00,000	0	21,35,00,00,000
044.	Higher Education			
	Revenue	4,200	0	4,200
	Capital	3,600	0	3,600
048.	Narmada Valley Development			
	Revenue	62,50,00,000	0	62,50,00,000
	Capital	8,07,00,00,000	0	8,07,00,00,000
050.	Horticulture and food processing			
	Revenue	10,00,000	0	10,00,000
052.	Medical Education			
	Revenue	2,23,06,00,000	0	2,23,06,00,000
	Capital	3,62,50,00,000	0	3,62,50,00,000
054.	Backward Classes Welfare			
	Revenue	100	0	100
055.	Women and Child Development.			
	Revenue	33,85,80,68,978	0	33,85,80,68,978
	Capital	26,04,00,000	0	26,04,00,000
Total :				
	{ Revenue	89,73,05,57,142	12,00,00,01,300	1,01,73,05,58,442
	{ Capital	1,96,82,09,56,000	4,10,00,00,200	2,00,92,09,56,200
Grand Total		2,86,55,15,13,142	16,10,00,01,500	3,02,65,15,14,642